न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी— श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04/2023	20.01.2023	25.06.2024

1. कैलाश पुत्र किशनलाल, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. मोत्या बेवा बाबूलाल, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. गोपाल पुत्र बाबूलाल, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. भीमसिंह पुत्र बाबूलाल, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
5. अर्जुन पुत्र बाबूलाल, लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
6. कमली पुत्री बाबूलाल पत्नी धर्मसिंह जाति लोधा निवासी मैगजीन के पास, चन्द्र नगर करौली जिला करौली
7. गीता पुत्री बाबूलाल पत्नी रामदयाल जाति लोधा निवासी मैगजीन के पास, चन्द्र नगर करौली जिला करौली

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रघुनन्दन पुत्र भोलाराम जाति लोधा निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. कपूरचन्द पुत्र भोलाराम जाति लोधा निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री दिलिप पैगोरिया, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की भूमि नया खाता संख्या 75 पुराना खाता संख्या 74 आराजी खसरा नम्बर 482 रकवा 1.04 है0, 483 रकवा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.11 है0 कस्वा गंगापुर सिटी में स्थित है। संवत् 2068—2071 की जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 1 कैलाश चन्द एवं प्रार्थी संख्या 2 के पति व प्रार्थी संख्या 3 ता 7 के पिता बाबूलाल का संयुक्त हिस्सा 1/2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 रहा है। सैग्रीगेशन के बाद राजस्व रिकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/6 दर्ज है एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 7 का उनके पिता के हिस्से 1/4 से प्रत्येक का हिस्सा 1/24 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/36 दर्ज किया गया है और अप्रार्थी सहखातेदार रघुनन्दन पुत्र भोलाराम के नाम हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/3 व कपूर चन्द का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/3 दर्ज हो गया है जिसे पूर्व की जमाबंदी अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त गलती के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि को भली प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उपयोग उपभोग नही कर पा रहे हैं । प्रार्थी संख्या 2 ता 7 का नामान्तकरण खुलने के बाद जमाबन्दी की नकल लेने व दिनांक 16.01.2023 विपक्षी संख्या 3 से मिले व उक्त संशोधन करने बावत् निवेदन किया तो उन्होने कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ तब हम उक्त संशोधन करेगें । इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण के नाम रेवन्यू रिकार्ड में सहवन से हिस्सा गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 व प्रार्थी सं0 2 ता 7 का हिस्सा 1/24—1/24 है जिसकी पटवारी हल्का गंगापुर सिटी से जांच करवायी जाकर पूर्व जमाबंदी के अनुसार उक्त संशोधन किया जाना आवश्यक एवं विधि सम्मत है। वादग्रस्त भूमि गंगापुर सिटी में स्थित है इसलिए प्रकरण सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को परफोरमा पक्षकार बनाया गया है जिनसे कोई रिलीफ नही चाही गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पटवारी हल्का गंगापुर सिटी से जांच करावायी जाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खाता संख्या नया 75 पुराना खाता संख्या 74 आराजी खसरा नम्बर 482 रकवा 1.04 है0, 483 रकवा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.11 है0 स्थित कस्वा गंगापुर सिटी की हाल राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 व प्रार्थी संख्या 2 ता 7 का हिस्सा 1/36 के स्थान पर 1/24 संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें व इस बाबत् तहसीलदार गंगापुर सिटी को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 75 ग्राम गंगापुर, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 खाता संख्या 73,74,75 ग्राम गंगापुर, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2074 ग्राम गंगापुर खाता संख्या 75, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र बाबूलाल लोधा की फोटोकोपी प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनवानी प्रकरण कैलाश वगैरा बनाम रघुनन्दन वगैरा मुकदमा नम्बर 4/2023, धारा 136 एल0आर0एक्ट में पटवारी गंगापुर से जांच करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम गंगापुर में खाता संख्या 75 ख0न0 462 रकबा 1.04 है0, ख0न0 483 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 रास्ता वर्तमान जमाबंदी में खातेदार अर्जुन सिंह पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/36, कपूर चन्द पुत्र भोलाराम हि0 1/3, कमली पुत्री बाबूलाल हि0

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

1/36, कैलाश चन्द पुत्र किशन लाल हि0 1/6, गीता पुत्र बाबूलाल हि0 1/36, गोपाल सिंह पुत्र बाबूलाल हि0 1/36, भीमसिंह पुत्र बाबूलाल हि0 1/36, मोत्या देवी पत्नि स्व0 बाबूलाल हि0 1/36, रघुनन्दन पुत्र भोला हि0 1/3 दर्ज है। साविक रिकार्ड का अवलोकन करने पर जमाबंदी संवत् 2068–2071 में खाता संख्या 74 ख0न0 482 रकबा 1.04 है0 व खसरा नम्बर 483 रकबा 0.07 है0 खातेदारान बाबूलाल, कैलाश चन्द पुत्रान किशनलाल, कपूरचन्द, रघुनन्दन पुत्रान भोलाराम जाति लोदा सहत्र मिर्जापुर खातेदान दर्ज है जो सेटलमेंट के समय उक्त खातेदार कपूरचन्द पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/3 कैलाश चन्द पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/6, बाबूलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/6, रघुनन्दन पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/3 हो गया जबकि भोलाराम व किशनलाल के पुत्रों को बराबर हिस्सा आना चाहिए था। अतः वर्तमान जमाबन्दी में कपूरचन्द, रघुनन्दन पुत्रान भोलाराम हिस्सा 1/2 कैलाश पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/4, अर्जुन, गोपाल सिंह, भीमसिंह पुत्रान बाबूलाल, कमली, गीता पुत्रियान बाबूलाल, मोत्या देवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा बराबर हिस्सा 1/4 किया जाना उचित है।

लैण्ड होल्डर द्वारा अपने जबाब के साथ मूल रिपोर्ट पटवारी हलका दिनांक 15.5.2024 प्रस्तुत की हैं।

दिनांक 1.8.2024 को पक्षकारों ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि पक्षकारान की खाता संख्या 75 आराजी ख0नं0 482 रकबा 1.04 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.07 है0 कुल रकबा 1.11 है0 स्थित गंगापुर में अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा रहा है जो सेग्रीगेशन के बाद वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/6 दर्ज है एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 7 का उनके पिता के हिस्से 124 में प्रत्येक का हिस्सा 1/24 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/36 दर्ज किया गया है और अप्रार्थी सहखातेदार रघुनन्दन पुत्र भोलाराम के नाम 124 के स्थान पर 123 व कपूरचन्द का 1/4 के स्थान पर 1/3 दर्ज हो गया है जिसे वर्तमान जमाबंदी में संशोधन करने में हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ती नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/4 एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 7 का हिस्सा 1/36 के स्थान पर 1/24 व अप्रार्थी सहखातेदार रघुनन्दन पुत्र भोलाराम 1/3 के स्थान पर 1/4 व कपूरचन्द का 1/3 के स्थान पर 1/4 किया जाकर राजीनामा तस्दीक फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक को सुना गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

7

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम गंगापुर में खाता संख्या 75 ख0न0 462 रकबा 1.04 है0, ख0न0 483 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 रास्ता वर्तमान जमाबंदी में खातेदार अर्जुन सिंह पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/36, कपूर चन्द पुत्र भोलाराम हि0 1/3, कमली पुत्री बाबूलाल हि0 1/36, कैलाश चन्द पुत्र किशन लाल हि0 1/6, गीता पुत्र बाबूलाल हि0 1/36, गोपाल सिंह पुत्र बाबूलाल हि0 1/36, भीमसिंह पुत्र बाबूलाल हि0 1/36, मोत्या देवी पत्नि स्व0 बाबूलाल हि0 1/36, रघुनन्दन पुत्र भोला हि0 1/3 दर्ज है। साविक रिकार्ड का अवलोकन करने पर जमाबंदी संवत 2068–2071 में खाता संख्या 74 ख0न0 482 रकबा 1.04 है0 व खसरा नम्बर 483 रकबा 0.07 है0 खातेदारान बाबूलाल, कैलाश चन्द पुत्रान किशनलाल, कपूरचन्द, रघुनन्दन पुत्रान भोलाराम जाति लोदा सहत्र मिर्जापुर खातेदान दर्ज है जो सेटलमेंट के समय उक्त खातेदार कपूरचन्द पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/3 कैलाश चन्द पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/6 बाबूलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/6 रघुनन्दन पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/3 हो गया जबकि भोलाराम व किशनलाल के पुत्रों को बराबर हिस्सा आना चाहिए था। अतः वर्तमान जमाबन्दी में कपूरचन्द, रघुनन्दन पुत्रान भोलाराम हिस्सा 1/2 कैलाश पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/4 अर्जुन, गोपाल सिंह, भीमसिंह पुत्रान बाबूलाल, कमली, गीता पुत्रियान बाबूलाल, मोत्या देवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा बराबर हिस्सा 1/4 किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गंगापुर की वर्तमान जमाबंदी में कपूरचन्द, रघुनन्दन पुत्रान भोलाराम हिस्सा 1/2, कैलाश पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/4, अर्जुन, गोपाल सिंह, भीमसिंह पुत्रान बाबूलाल, कमली, गीता पुत्रियान बाबूलाल, मोत्या देवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा बराबर हिस्सा 1/4 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी में दर्ज अन्य इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.6.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (...) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज0)

(अनूप सिंह)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)